**न्यायालय सं0–2**

## राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

उपस्थितः– मा0 श्री सुखलाल भारती, सदस्य (प्रशासकीय)

## निर्देश याचिका संख्या–262/2015

राजेश त्रिपाठी, उम्र लगभग 44 वर्ष पुत्र श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी, निवासी 133/सी, विवेक नगर, सदर कोतवाली, प्रतापगढ़ यू0पी0।

.....याची

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सिविल सचिवालय, लखनऊ।
2. आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहाबाद।

..... विपक्षीगण

**उपस्थित अधिवक्तागण :–**
**श्री जय कुमार अधिवक्ता.....(याची)**
**विद्वान् प्रस्तुतकर्ता अधिकारी.....(विपक्षीगण)**

## निर्णय

**द्वारा माननीय श्री सुखलाल भारती, सदस्य (प्रशासकीय)**

याची द्वारा यह याचिका उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत इस अनुतोष हेतु योजित की गयी है कि याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनाँक 15.10.2015 जिसके द्वारा याची को परिनिन्दित करते हुए भविष्य के लिए सचेत किया गया है तथा आदेश दिनाँक 20.12.2013 जिसके द्वारा याची की निलम्बन अवधि दिनाँक 11.06.2013 से 16.10.2013 की आंशिक अवधि दिनाँक 11.06.2013 से 02.08.2013 तक रोके गये वेतन को दिये जाने का निर्देश दिये जाने हेतु तथा अपीलीय आदेश दिनाँक 06.02.2015, जिसके द्वारा अपील को बलहीन होने के आधार पर निरस्त कर दिया गया है, को अपास्त करते हुए याचिका स्वीकार किये जाने एवं अवशेष निलम्बन अवधि का वेतन दिलाये जाने हेतु विपक्षीगणों को निर्देशित किये जाने के हेतु योजित की गई है।

2. संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि याची के आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–3 फतेहपुर में उसकी तैनाती के दौरान दिनाँक 04.06.2013 को उप आबकारी आयुक्त, कानपुर प्रभार, कानपुर द्वारा क्षेत्र–3 जनपद फतेहपुर की अनुज्ञापित देशी शराब/विदेशी मदिरा एवं बियर दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण

के दौरान देशी शराब की दुकान लहुरा सराय, जजमुइया तथा मलवा पर मदिरा की बिक्री निर्धारित मूल्य से क्रमशः रू0 10/–, 10/– व रू0 05/– अधिक वसूल कर एवं विदेशी मदिरा दुकान मलवा व बियर दुकान मलवा पर निर्धारित मूल्य से क्रमशः 05 रू0/– व रू0 10/– अधिक वसूल कर बिक्री करने अर्थात ओवर रेटिंग करने का प्रकरण प्रकाश में आने तथा निरीक्षित कतिपय अन्य दुकानों पर अभिलेखीय अनियमिततायें पाये जाने के कारण अपने शासकीय कर्तव्यों/दायित्वों के निर्वहन में बरती गयी उदासीनता एवं लापरवाही के लिए याची श्री राजेश त्रिपाठी, तत्कालीन आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र –3 जनपद फतेहपुर को दोषी पाया गया था। जिसके लिए आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश दिनाँक 15.10.2013 द्वारा परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान की गयी थी। याची को मुख्यतः 02 आरोपों से आरोपित किया गया था।

1. अनुज्ञापित देशी शराब/विदेशी मदिरा एवं बियर की दुकानों से ओवर रेटिंग करके निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करना।

2. निरीक्षण के समय अभिलेखों को प्रस्तुत न किया जाना।

उक्त आरोपों के सम्बन्ध में याची को आबकारी आयुक्त द्वारा दिनाँक 11.06.2013 को आरोप पत्र **(संलग्नक सं0–04)** जारी करते हुए 15 दिन के अन्दर उत्तर देने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके अनुपालन में याची द्वारा उपरोक्त आरोपों से इन्कार करते हुए लगाये गये आरोपों को निरस्त करने हेतु अपना प्रतिउत्तर **(संलग्नक सं0–05)** प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में उप आबकारी आयुक्त, फैजाबाद प्रभार फैजाबाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी द्वारा याची पर आरोपित दोनों आरोपों को सिद्ध नहीं पाया गया। फिर भी अनुशासनिक अधिकारी/आबकारी आयुक्त द्वारा जांच अधिकारी की जांच आख्या से असहमत होते हुए याची के विरूद्ध दण्डादेश दिनाँक 15.10.2013 को पारित करते हुए परिनिन्दा का दण्ड दिया गया जिसके विरूद्ध याची द्वारा उत्तर प्रदेश शासन आबकारी अनुभाग–01 को अपील प्रस्तुत की गयी जिसे अपीलीय अधिकारी प्रमुख सचिव आबकारी द्वारा अपने आदेश दिनाँक 06.02.2015 द्वारा याची की अपील को बलहीन होने के आधार पर निरस्त कर दिया गया। उक्त दण्डादेशों एवं अपील निरस्तीकरण आदेश को निरस्त कर याचिका स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. विपक्षीगण की तरफ से याचिका का विरोध करते हुए लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि याची द्वारा योजित याचिका निराधार एवं आधारहीन तथ्यों पर याचिका दायर की गयी है जो खारिज करने योग्य है। याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनाँक 15.10.2013, निलम्बन काल के अवशेष वेतन भत्तें न दिये जाने सम्बन्धी आदेश दिनाँक 20.12.2013 तथा उक्त आदेशों के विरूद्ध योजित

की गयी याची की अपील पर पारित अपील निरस्तीकरण आदेश दिनाँक 06.02.2015 विधि अनुकूल है जिसमें कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नही होती है। याची के आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–3 जनपद फतेहपुर में उप आबकारी आयुक्त, कानपुर के निरीक्षण दिनाँक 04.06.2013 में अनुज्ञापित देशी शराब/विदेशी मदिरा एवं बियर की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर उक्त दुकानों पर ओवर रेटिंग अर्थात निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री का प्रकरण तथा कतिपय दुकानों के समय अभिलेखों के प्रस्तुत न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में आने के कारण याची को उसके शासकीय कर्तव्यों/दायित्वों के निर्वहन में बरती गयी घोर उदासीनता एवं लापरवाही के लिए दोषी पाये जाने के कारण उसे निलम्बित कर दिया गया था तथा निलम्बन काल की कुछ अवधि का वेतन न दिये जाने का आदेश दिया गया था जिसमें कोई अवैधानिकता नही है। याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश के विरूद्ध याची द्वारा प्रस्तुत अपील को भी अपीलीय अधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरान्त तथ्यहीन एवं बलहीन पाये जाने के कारण निरस्त कर दिया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः याची की याचिका निरस्त होने योग्य है।

4. याची की ओर से लिखित कथन के विरूद्व प्रत्युत्तर शपथ–पत्र दाखिल किया गया है तथा लिखित कथन में किये गये कथनों का खण्डन किया गया है।

5. मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों/प्रपत्रों सूक्ष्म परिशीलन किया।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत दण्डादेश दिनाँक 15.10.2013 एवं अपीलीय आदेश दिनाँक 06.02.2015 को इन आधारों पर चुनौती दी गयी है कि प्रश्नगत दण्डादेश मनमानेपूर्ण तरीके से तथा अवैधानिक तरीके से बिना मस्तिष्क के प्रयोग किए ही पारित किया गया है जो अकारण एवं अमुखरित आदेश है। आदेश पारित करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन नहीं किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा याची पर आरोपित दोनो आरोप सिद्ध नहीं पाया गया है, फिर भी याची को जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति का कारण बताये बिना दण्डादेश पारित किया गया है, जो विधि अनुकूल नहीं है। याची द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लिखित किए गए विभिन्न तथ्यों का संज्ञान लिए बिना ही आदेश पारित किया गया है। प्रस्तावित दण्डादेश पारित करने से पूर्व याची को कोई नोटिस नही दी गयी है। प्रश्नगत आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद–14 और 16 तथा **उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999** के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। याची के विरूद्ध प्रश्नगत आदेश मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरूद्ध है।

7. याची की तरफ से यह तर्क दिया गया है कि अनुशासनिक अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी की जांच आख्या के निष्कर्षों से असहमति का कोई कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया गया है कि जो **रूल–9(2) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999** के विरूद्ध है। अनुशासनिक अधिकारी द्वारा प्रश्नगत दण्डादेश दिनाँक 15.10.2013 पारित करते समय याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण क्यों संतोषजनक नही है इसका कोई कारण अपने आदेश में अंकित नही किया गया है। अतः प्रश्नगत आदेश non-speaking and unreasoned है। इसके अतिरिक्त याची का यह भी कहना है कि दण्डादेश पूर्णतया मनमाना एवं अवैधानिक है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरूद्ध है, इसके अतिरिक्त याची के निलम्बन काल का अवशेष वेतन न दिये जाने का भी कोई स्पष्ट कारण उल्लिखित नही किया गया है।

8. याची की तरफ से यह भी कहा गया है कि जांच अधिकारी द्वारा याची पर आरोपित दोनों आरोप अपनी जांच में सिद्ध नही पाये गये है, फिर भी अनुशासनिक अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी की जांच आख्या से असहमत होते हुए भी याची को केवल लघु दण्ड दिया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि याची के विरूद्ध जो निलम्बन की कार्यवाही की गयी है, वह अनुचित है। अतः याची सम्पूर्ण निलम्बन काल का वेतन भत्ता पाने का अधिकारी है। आदेश दिनाँक 20.12.2013 द्वारा निलम्बन अवधि का दिनाँक 11.06.2013 से 16.10.2013 की अवधि में से केवल दिनाँक 11.06.2013 से 02.08.2013 तक का वेतन न दिये जाने तथा दिनाँक 03.08.2013 से 16.10.2013 तक का ही वेतन भत्ता दिया जाना किसी भी दृष्टि से विधिक नहीं कहा जा सकता है। आदेश पूर्णतया मनमानीपूर्ण कार्यवाही का द्योतक है और अपने आप में ही विरोधाभासी है। दिनाँक 11.06.2013 से 02.08.2013 तक वेतन न दिये जाने का कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया गया है। जो विधि विरूद्ध है।

9. याची की तरफ से यह भी कहा गया है कि दण्डादेश दिनाँक 15.10.2013 एवं आदेश दिनाँक 20.12.2013 के विरूद्ध याची की अपील विपक्षी सं0–02 के समक्ष प्रस्तुत अपील भी मात्र दण्डाधिकारी की रिपोर्ट दिनाँक 24.03.2014 को प्राप्त करके उसी आधार पर खारिज कर दी गयी है जिसकी प्रति याची को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जिसके आधार पर वह अपनी बात कह सके। याची की अपील बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन किए ही निरस्त कर दी गयी है। जो **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भाषकर उपाध्याय बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1999 एस0सी0डी0 753** में प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरूद्ध है।

10. विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याची को अनुज्ञापित दुकानों पर ओवर रेटिंग एवं अन्य अनियमिततायें पाये जाने पर याची के शासकीय कर्तव्यों/दायित्वों के निर्वहन में बरती गयी घोर लापरवाही एवं उदासीनता के लिए दण्डित किया गया है जो आबकारी मैनुअल खण्ड–1 प्रस्तर के प्रस्तर–102 (1)115/112 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत याची का दायित्व है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अपने प्रति शपथपत्र में कही गयी बातों को दोहराया गया है और केवल याचिका में कोई बल न होने के का कथन करते हुए याचिका निरस्त करने योग्य कही गयी है।

11. पत्रावली में उपलब्ध समस्त अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याची को दो आरोपों ओवर रेटिंग एवं निरीक्षण के समय अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने का दोषी पाते हुए उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए याची को निलम्बित करने की कार्यवाही की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच आख्या में याची पर दोनों ही आरोप सिद्ध नही पाये गये है। फिर भी अनुशासनिक अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी की जांच आख्या के निष्कर्षों से सहमत न होते हुए याची को परिनिन्दा का दण्ड दिया गया है। दण्डादेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुशासनिक अधिकारी द्वारा अपने आदेश में जांच अधिकारी की जांच आख्या के निष्कर्षों से असहमत होने का कोई कारण अपने आदेश में उल्लिखित नहीं किया गया है। जो **उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–9** का उल्लघंन है। उक्त नियमावली 1999 के नियम–9 में निम्न व्यवस्थायें उल्लिखित है :–

> **9.(2) The Disciplinary Authority shall, if it disagrees with the finding of the Inquiry officer on any charge, record its own findings thereon for reasons to be recorded.**

याची को उसके शासकीय कर्तव्यों/दायित्वों के निर्वहन में बरती गयी घोर लापरवाही एवं उदासीनता के लिए दोषी पाते हुए दण्डित किया गया है। लेकिन याची द्वारा आरोपों के सम्बन्ध में उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण जिसमें यह उल्लिखित है कि उसके द्वारा अपने क्षेत्र में आबकारी अपराधों की रोकथाम एवं पकड़–धकड़ हेतु प्रभारी प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी, जिसके कारण वर्ष 2011–12 528/अभियोगों के सापेक्ष वर्ष 2012–13 697 अभियोग पकड़े गये तथा उक्त अवधि में 4774.5 लीटर अवैध शराब पकड़ी गयी गत वर्ष की अपेक्षा देशी शराब/विदेशी मदिरा के बियर के उपभोग में क्रमशः 65 प्रतिशत 20.39 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। जिससे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। देशी शराब/विदेशी मदिरा के उपभोग में भी गत वर्षो की अपेक्षा अधिक

वृद्धि की गयी है और इसकी सूचना एम0डी0ओ0 के माध्यम से भेज दी गयी है। अनुज्ञापितों पर प्रभावी नियन्त्रण करने हेतु अनुज्ञापितों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा–64/74(1) के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। तीन नई दुकानों को सीज कराया गया। ओवर रेटिंग रोकने के लिए आकस्मिक चेकिंग की गयी है। जिसकी सूचना जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत की गयी है तथा प्रशमन की कार्यवाही कराते हुए प्रशमन की धनराशि जमा करायी गयी है। ओवर रेटिंग आबकारी अधिनियम की धारा– 64 करना जघन्य अपराध है। साथ ही साथ अधिनियम धारा–74 में यह भी प्रावधानित है धारा–64 एवं 68 के अपराध को धारा–74 (1) के अन्तर्गत अधिकतम रू0 5000/– में प्रशमन दिया जा सकता है। प्रशमन का अधिकार जिला आबकारी अधिकारी को है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जहाँ तक याची पर अपने शासकीय दायित्वों/कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता का दोषी आरोपित करने का प्रश्न है याची के उक्त स्पष्टीकरण से लापरवाही एवं उदासीनता की बात सिद्ध नही होती है क्यों याची द्वारा अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन पर्याप्त सर्तकता के साथ किया जाना प्रतीत होता है। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट हो रहा है कि याची द्वारा सूचित ओवर रेटिंग के मामलों को प्रशमित कर प्रशमन की धनराशि जमा करायी गयी है तो उसी आरोप के लिए उसे दण्ड दिया जना कदापि उचित प्रतीत नहीं होता है। याची पर यह भी आरोप है कि अपने अधीनस्थ अनुज्ञापितों से दूरभिसन्धि की गयी है यह किसी भी साक्ष्य से प्रमाणित नही है।

12. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **एस0पी0 मल्होत्रा बनाम पंजाब नेशनल बैंक एण्ड अदर्श (2013) 2 एस0सी0सी0 (एल एण्ड एस) 673** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था की तरफ ध्यान आकर्षित किया जिसमें यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि अनुशासनिक अधिकारी को अपनी असहमति का स्पष्ट कारण अपने आदेश में दिया जायेगा कि किन कारणों से वह जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत नही है। अनुशासनिक अधिकारी का यह दायित्व है कि वह अपनी असहमति के कारणों की लिखित प्रति आरोपी कर्मचारी को उपलब्ध कराये, जिसके आधार पर वह अपना बचाव कर सके। यदि अनुशासनिक अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके द्वारा पारित दण्डादेश निष्प्रभावी होगा। याची की तरफ से यह भी कहा गया है कि प्रश्नगत आदेश के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या यह परिलक्षित होता है कि अनुशासनिक अधिकारी द्वारा याची के स्पष्टीकरण में उल्लिखित बिन्दुओं पर कोई विचार नही किया गया है और न ही उसके द्वारा याची के स्पष्टीकरण में उल्लिखित बिन्दुओं की कोई विवेचना अपने आदेश में की गयी है।

13. प्रश्नगत आदेश दिनाँक 15.10.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि याची द्वारा उठाये गये तर्को में बल है और प्रश्नगत आदेश उपरोक्त विवेचना के सापेक्ष सही नही ठहरता है। याची के निलम्बन का भी कोई ठोस आधार नही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–9 के तहत किसी सरकारी सेवक को तभी निलम्बित किया जा सकता है जब उस पर आरोप इतने गम्भीर हो कि उसे सेवा से हटाने या बर्खास्त करने जैसा वृहद दण्ड दिया जाना आवश्यक हो। चूंकि याची पर आरोप सामान्य प्रकृति के है, अतः निलम्बन की कोई आवश्यकता नही थी। अतः याची के निलम्बन काल की आंशिक अवधि दिनाँक 11.06.2013 से 02.08.2013 तक का वेतन रोकने का कोई औचित्य नही है, और न ही इस सम्बन्ध में पारित आदेश ही औचित्यपूर्ण है।

अपील में पारित प्रश्नगत आदेश दिनाँक 06.02.2015 भी उपरोक्त आधारों पर पोषणीय नहीं है क्योंकि अपीलीय आदेश मात्र अनुशासनिक अधिकारी द्वारा व्यक्त किये गये निष्कर्ष पर आधारित है।

14. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत मेरा यह निष्कर्ष है कि याचिका में पर्याप्त बल है। तदनुसार याचिका स्वीकार करने योग्य है।

## आदेश

निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है। प्रश्नगत दण्डादेश आदेश दिनाँक 15.10.2013 (संलग्नक सं0–1) जिसके द्वारा याची को परिनिन्दा का दण्ड दिया गया है तथा आदेश 20.12.2013 (संलग्नक सं0–2) जिसके द्वारा याची के निलम्बन काल की आंशिक अवधि दिनाँक 11.06.2013 से 02.08..2013 तक का वेतन न दिये जाने का आदेश दिया गया है तथा अपीलीय आदेश दिनाँक 06.02.2015 (संलग्नक सं0–3) निरस्त किया जाता है। याची सम्पूर्ण निलम्बन काल का वेतन/भत्ता पाने का अधिकारी होगा। विपक्षीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश का अनुपालन निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर करना सुनिश्चित करें।

वाद–व्यय पक्षकार स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–
(सुखलाल भारती)
सदस्य (प्रशासकीय)

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0/–
(सुखलाल भारती)
सदस्य (प्रशासकीय)

दिनांकः 20 अगस्त 2026

**(एस0 द्विवेदी)**